न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/91/2017

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री महेन्द्र सैनी पुत्र श्री भोलाराम सैनी निवासी–गाजीगदन वार्ड नं. 15, तिजारा (अलवर) राज0		लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 15.01.2018

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ, शामिल पत्रावली किया गया।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 24.10.2017 के माध्यम से लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड कार्यालय तिजारा (अलवर) को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर पूर्व में प्रस्तुत शिकायतों के संबंध में की गई कार्यवाही बाबत 02 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई थी।
5. उक्त प्रा.पत्र दि0 24.10.17 के परिप्रेक्ष्य में वांछित सूचना नहीं मिलने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रा.पत्र दि. – (इस कार्यालय को दिनांकः 11.12.17 को प्राप्त) के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट/ए.डी.एम. द्वितीय/आर.टी.आई.अपील/2017/1685–86 दिनांकः 18.12.2017 के माध्यम तलब कर दिनांकः 19.12.17 को जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया। जवाब प्राप्त नहीं होने पर उसके पश्चात् पत्रांकः 1716 दिनांकः 01.01.18 एवं 1745–46 दिनांकः 08.01.18 के माध्यम से स्मरण–पत्र जारी कर क्रमशः दिनांकः 08.01.18 एवं दिनांकः 15.01.18 को प्रकरण में वांछित सूचना के साथ स्वयं या प्रतिनिधि को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया।
7. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्रांकः राजस्व/आरटीआई/2018/3232 दिनांकः 11.01.18 के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ। जिसके अनुसार उनके द्वारा आवेदक का प्रा0पत्र दि0 24.10.17 जो कि उपखण्ड कार्यालय नीमराना को दिनांकः 31.10.17 को प्राप्त हुआ, पत्रांकः 2987 दिनांकः 02.11.17 के माध्यम से अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका तिजारा (अलवर) को प्रकरण में आवेदक द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु अन्तरित किया गया है। अन्य प्रा.पत्र दि0 05.09.2017 के संबंध में प्राप्त सूचना अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील अन्तर्गत वांछित नहीं है।
8. आलोच्य प्रकरण में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के प्रावधानानुसार नियत समयावधि में ही प्रा0पत्र का अन्तरण अन्य विभाग को अन्तरित किया गया है। जिसकी प्रति आवेदक को भी प्रेषित की गई है।

9. प्रकरण में प्रत्यर्थी विभाग को बार--बार नोटिस जारी करने के पश्चात् प्रत्यर्थी द्वारा अपीलोत्तर प्रस्तुत किया गया है जो उक्त अधिनियम के प्रति उदासीनता, लापरवाही एवं अकर्मण्यता का द्योतक है।

10. उक्त अपील अन्तर्गत प्रत्यर्थी विभाग द्वारा किया गया विनिश्चय पर्याप्त है। अपीलार्थी को चाहिए था कि प्रकरण में अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका तिजारा द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा रही है तो उनके प्रथम अपील अधिकारी अध्यक्ष नगरपालिका तिजारा के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत करते।

11.अतः उक्त आलोक में प्रथम अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। प्रत्यर्थी को इसके माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि उक्त अधिनियम अन्तर्गत प्राप्त अपीलों में अपीलोत्तर/जवाब नोटिस अविलम्ब भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

12. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

13. निर्णय घोषित ।

(बनवारीलाल रमण)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)